


राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक: एफ 4 () परावि/पीसी/निरायो/बजट/2013-14/ 496

जयपुर, दिनांक : 26.3.2014


शुद्धि-पत्र

विभागीय प्रशासनिक स्वीकृती एवं वित्तीय स्वीकृती संख्या 56/2013-14 (पत्र क्रमांक एफ 4 () परावि/पीसी/निरायो/बजट/2013-14/356 जयपुर, दिनांक 4.3.2014) में आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के पी.डी. खातें में हस्तान्तरण के स्थान पर निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान के पी.डी. खातें में हस्तान्तरण पढा जावे।


अतिरिक्त आयुक्त
एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, वित्त (बजट) विभाग, को प्रेषित कर अनुरोध है कि वित्त (आय व्ययक अनुभाग) विभाग की स्वीकृती संख्या 824/2013-14 दिनांक 11.3.2014 में आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के पी.डी. खातें में हस्तान्तरण के स्थान पर निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान के पी.डी. खातें में हस्तान्तरण हेतु शुद्धि पत्र जारी कराने का श्रम करावे।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
7. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, द्वितीय तल, ब्लॉक-5, डॉ. एस.राधाकृष्णन, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग जयपुर।
8. प्रोग्रामर मुख्यालय को, वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. लेखा, सांख्यिकी/अंकमिलान/संकलन शाखा, मुख्यालय/रक्षित पत्रावली।


अधिशायी अभियन्ता (प्रो.)